मध्य प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 12-83/2018/18-5 भोपाल, दिनांक 04 06 /2020

विषयः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक ओए नंबर 673/2018 में दिनांक 20.09.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में नदी पुनरूद्धार समिति (आरआरसी) की दिनांक 30/05/2020 को संपन्न बैठक का कार्यवाही विवरण ।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक ओए नंबर 673/2018 में दिनांक 20.09.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रदेश की 22 प्रदूषित नदी क्षेत्रों के पुनरूद्धार हेतु एक्शन प्लान तैयार किये जाकर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये जा चुके हैं। सामान्य प्रशासन विभाग, के आदेश क्रमांक एफ 19-88/2019/1/4 दिनांक 07 दिसम्बर, 2019 के माध्यम से गठित नदी पुनरूद्धार समिति (आरआरसी) की प्रदूषित नदी प्राथमिकता 1,2,3,4 एवं 5 की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु सातवीं बैठक दिनांक 30/05/2020 को प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न /अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1 श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, अपर आयुक्त, नगरीय विकास एवं विकास विभाग, भोपाल।
2. श्री आर. एस. कोरी, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
3. श्री ए.ए. मिश्रा, डायरेक्टर, पर्यावरण, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
4. श्री राकेश कुशरे, उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. श्री चित्तरंजन त्यागी, वन विभाग, भोपाल।
6. श्री पी. के. जैन, डायरेक्टर, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, भोपाल ।
7. डॉ. सैराज खॉन, वैज्ञानिक "डी" केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, भोपाल।
8. श्री एन.के. परिहार, अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
9. श्री पी.के. त्रिवेदी, डायरेक्टर, पर्यावरण, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
10. श्री जी. अम्बुलकर, मुख्य रसायनज्ञ, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।

2/ बैठक के प्रारम्भ में प्रमुख सचिव द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव द्वारा भी प्रकरण क्रमांक 606/2018 में प्रदेश की 22 प्रदूषित नदी क्षेत्रों के पुनरूद्धार हेतु एक्शन प्लान की समीक्षा की जाती है। अतः प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत् रखते हुए निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य को पूर्ण किया जाये। सदस्य सचिव मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय एनजीटी के आदेश दिनांक 20.09.2018, 19.12. 2018, 08.04.2019 एवं 06.12.2019 के संबंध में समिति सदस्यों को अवगत कराया गया कि समस्त कार्ययोजनाओं को समय-सीमा में लागू करने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा रू. 15 करोड की परफारमेन्स गारंटी माननीय एनजीटी के आदेशानुसार दिल्ली में जमा की गई है। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा कार्य योजनाओं की प्रगति का विवरण समिति के समक्ष रखा गया। समिति द्वारा कार्य योजनाओं पर माननीय राष्ट्रीय अधिकरण के आदेश के परिपेक्ष्य में चर्चा उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :-

1. योजनाओं के कियान्वयन हेतु नदी खण्ड प्राथमिकता क्रमांक-1 के अन्तर्गत चम्बल नदी के नागदा शहर व प्राथमिकता क्रमांक-2 के अन्तर्गत बेतवा नदी के मण्डीदीप के प्रस्तावित एस.टी.पी. निर्माण हेतु अभी तक योजना स्वीकृत नहीं हुई है। इस संबंध में अपर आयुक्त

द्वारा अवगत कराया गया कि नागदा एवं मण्डीदीप के प्रस्तावित इनसीटू बॉयो रेमिडियेशन की तकनीकी योजना तैयार कर ली गई है व कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है। अतः तद्नुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये एवं प्रतिमाह प्रगति की जानकारी पर्यावरण विभाग व मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही प्रस्तावित योजनाओं की प्रगति पर सतत् निगरानी हेतु संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही - नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

2. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 06.12.2019 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि दिनांक 31/03/2020 तक प्राकृतिक जल स्त्रोतों में निस्सारित होने वाले समस्त घरेलू दूषित जल का 100 प्रतिशत उपचार सुनिश्चित किया जाना है तथा कम से कम इन्सीटू बायो रिमेडिएशन किया जाये अन्यथा संबंधित विभाग को रू. 5.00 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन कम्पनसेशन देना होगा। अतः एक माह के अन्दर प्रदेश की समस्त सीवेज ड्रेन्स को चिन्हित कर बोर्ड को सूचित करें । समस्त एसटीपी का दिनांक 31/03/2021 तक निर्माण पूर्ण करना है अन्यथा रू. 10.00 लाख प्रतिमाह प्रति एसटीपी कम्पनसेशन देना होगा, इस संबंध में कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। अतः तद्नुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये एवं प्रतिमाह प्रगति की जानकारी पर्यावरण विभाग व मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही प्रस्तावित योजनाओं की प्रगति पर सतत् निगरानी हेतु संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही - नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

3. प्रदेश की 22 प्रदूषित नदी क्षेत्रों के पुनरूद्धार हेतु पोल्यूटेड रीव्हर स्ट्रैच के आस-पास के क्षेत्र के ट्यूववेल के विश्लेषण परिणाम यदि निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये हैं उनकी सूची केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी, तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के माध्यम से दूषित भू-जल स्त्रोतों को सील करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। भू-जल गुणवत्ता उन्नयन हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड रिचार्ज योजना तथा पोल्यूटेड स्ट्रैच में भू-जल सुदृणीकरण हेतु प्रस्ताव एक माह के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही - केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग व नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

4. फ्लड प्लेन जोन नोटिफिक्केशन के संबंध में अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि संबंधित क्षेत्र में उनके द्वारा कार्यपालन यंत्री स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं व अधिकांश स्थलों का सर्वे किया जा चुका है, परन्तु नोटिफिक्केशन की कार्यवाही कलेक्टर स्तर से जारी करना बताया गया है। अतः फ्लड प्लेन जोन से अतिक्रमण हटाने तथा वृक्षारोपण हेतु भूमि चिन्हीकरण का कार्य व फ्लड प्लेन जोन के डिमार्केशन हेतु नोटिफिक्केशन का प्रकाशन की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव 15 दिवस में तैयार कर संबंधित जिला कलेक्टर को प्रेषित करें, तथा प्रकरण की जानकारी प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग को भी अवगत करावें, जिससे कि नोटिफिक्केशन संबंधित कार्यवाही शीघ्र की जा सके। फ्लड प्लेन जोन के नोटिफिक्केशन हेतु स्ट्रैच चिन्हित किये जाने हेतु मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है।

(कार्यवाही - जल संसाधन विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

5. प्रदेश की 22 प्रदूषित नदी क्षेत्रों के पुनरूद्धार हेतु पोल्यूटेड रीव्हर स्ट्रैच क्षेत्र अंतर्गत राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाना है। वन विभाग को बैठक के दौरान ही चाही गई 22 प्रदूषित नदियों के स्ट्रैच की सूची उपलब्ध करा दी गई है। उपरोक्त कार्य हेतु मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रदूषित नदी क्षेत्र पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर 15 दिवस में प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही – वन विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

6. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नदी जल की गुणवत्ता जाँच हेतु सभी प्रदूषित नदी क्षेत्रों में बॉयों डायवरसिटी मॉनिटरिंग हाईजिनिक सर्वे जिसके तहत फीकल कॉलीफार्म एवं स्ट्रेप्टोकोकाई की मॉनिटरिंग प्रतिमाह की जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाना।

(कार्यवाही – म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

7. योजनाओं के कियान्वयन हेतु उद्योग संचालनालय के अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए।नदी पुनरूद्धार हेतु समस्त विभागों से सक्षम व प्रभावी कार्यवाही की अपेक्षा सहित धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(राकेश कुशरे) 4/6/20
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

पृ.कं. एफ 12-83/2018/18-5 भोपाल, दिनांक 04/06/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभभवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय वल्लभभवन भोपाल
3. प्रमुख सचिव, वन विभाग मंत्रालय वल्लभभवन भोपाल
4. प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभभवन भोपाल।
5. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल ।
6. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
7. संचालक, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, भोपाल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।
8. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
9. रीजनल डायरेक्टर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहकार भवन,नार्थ टी.टी. नगर, भोपाल।
10. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, रीवा, शहडोल, कटनी, छिंदवाड़ा, देवास एवं गुना की ओर सूचनार्थ एवं निर्देश हैं कि एक्शन प्लान की समीक्षा समय-समय पर की जाकर प्रगति की जानकारी प्रतिमाह प्रेषित करें।
11. विधि अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

उप सचिव 4/6/20
मध्प्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

7TH MEETING OF RIVER RIJUVNATION COMMITTEE (RRC) IN COMPLIANCE OF HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL OA NO. 673/2018 DATE-30.05.2020

"ATTANDANCE SHEET"

S. NO.	NAME AND DESIGNATION	DEPARTMENTS	E-MAIL/ MOBILE NO.	SIGNATURE
1	PK Jain Regional Director(I/C)	CGWB, NCR	rdncr-cgwb@nic.in 9425600912	PKJain
2	Dr. Seraj Khan	-do-	rdncr-cgwb@nic.in 9424419185	[signature]
~~3~~	~~Anoop Shrivastava~~	~~EPCO~~	~~9826089459~~	[signature]
3	P.K TRIVEDI	MPPCB	78984-91421	[signature]
4	RS KORI	M.S. MPPCB	9864950884	[signature]
5.	Chitranjan Tyagi	Forest Dept.	9425174770	[signature]
6.	Sumantra Kumar Singh	UDHD	9425613800	[signature]
7	G. Ambulkar	MPPCB Bhopal	9827249088	[signature]
8	N.K. Parihar	WRD.	9425710743	[signature]
	S.E			
9.	ए. कोशरे उप सचिव (पर्या०) विभाग)			—